भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3735

<u>दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए</u>

निर्यात के लिए मत्स्यपालन और डेयरी संकुल

3735. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटीलः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰ः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मत्स्यपालन एवं डेयरी संबंधी उत्पादों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत के पास इसके निर्यात की अपार संभावनाएं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उन जिलों की पहचान की है जिनमें मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों की क्रमशः संभावना है तथा उन्हें उक्त उत्पादों के निर्यात के लिए संकुलों के रूप में विकसित किए जाने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी उपलब्धियां हासिल हुई है;
(ग) क्या अन्य विकासशील एवं विकसित देशों ने भारत के कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों में निवेश करने में रुचि दिखाई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मत्स्यपालन एवं डेयरी उत्पादों के लिए अच्छी कीमत हासिल करने में ये किस हद तक सहायक सिद्ध होंगे;
(ङ) कृषि निर्यात नीति, 2018 के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार ने राज्यों पर उक्त नीति के प्रभाव का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी सफलता हासिल हुई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हॉ । वर्ष 2018-19 में भारत ने 6.8 बिलियन अम.डा (1.39 मिलियन टन) के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया तथा देश में कुल मत्स्य उत्पादन लगभग 13.34 मिलियन टन था जिसमें विगत वर्ष के उत्पादन (वर्ष 2017-18 में 12.59 मिलियन टन) की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि और निर्यात मात्रा (1.37 मिलियन टन) में 1.1% की वृद्धि हुई। अत: भारत से मत्स्य उत्पादों के निर्यात की संभावना है।
डेयरी क्षेत्र के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 176.35 मिलियन मीट्रिक टन के साथ दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर रहा। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात 2423 करोड रूपए का हुआ जो विश्व निर्यात का लगभग 1% है। इसलिए भारतीय दुग्ध उत्पादों के निर्यात भी वृद्धि की संभावना है।

(ख) : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) सभी तटवर्ती राज्यों में अक्वाकल्चर की कल्स्टर कृषि को बढावा देता है तथा 19,854 किसानों को शामिल करके 918 जलकृषि समितियों का गठन किया है। इन सोसायटियों का जिलावार विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है। इन सोसायटियों के माध्यम से एम्पीडा संधारणीय जलकृषि को बढावा देने तथा जलकृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रोगमुक्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इन सोसाइटियों के किसानों को बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं (बीएमपीएस) का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के संबंध में, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले और गुजरात में बनासकाठा जिले को डेयरी उत्पादों के लिए कल्स्टर के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ग) और (घ) : कुछ देशों ने भारत के कृषि क्षेत्र में निवेश करने में रूचि दिखाई है। विगत तीन वर्षों अर्थात अप्रैल, 2016 से जून, 2019 तक में कृषि सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश लगभग 283.5 मिलियन अम.डा रहा है। इसमें से, मात्स्यिकी सेक्टर में 3.8 मिलियन अम.डा का और डेयरी सेक्टर में 1.94 मिलियन अम.डा. का (डीपीआईआईटी में उपलब्ध आंकडों के अनुसार) निवेश हुआ।

(ड.) और (च): कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम अनुबंध-II पर संलग्न है। दिसम्बर 2018 में नीति के आरम्भ के बाद से और यह कार्यान्वयन का आरम्भिक चरण है और राज्यों में अब तक नीति के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है।

(छ) : मात्स्यिकी क्षेत्र के संबंध में, सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के माध्यम से कुछ सक्रिय उपाय किए हैं उनका विवरण अनुबंध- III पर दिया गया है। डेयरी क्षेत्र के संबंध में, पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित डेयरी विकास स्कीमों को लागू कर रहा है जिनका उद्देश्य देश भर में डेयरी प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना का सृजन करके किसानों को लाभ पहुँचाना है।

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
ii.राष्ट्रीय दुग्ध योजना - I (एनडीपी-I)
iii.डेयरी उद्यमिता विकास स्कीम (डीईडीएस)
iv. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि स्कीम (डीआईडीएफ)

ये स्कीमें अलग-अलग राज्यों में डेयरी उद्योग में उनकी क्षमता की वृद्धि के लिए राज्य सरकारों एवं राज्य डेयरी परिसंघों/ दुग्ध यूनियनों का सहायता प्रदान करती हैं।

****

अनुबंध - I

राज्य	जिला	एनएसीएसए के साथ पंजीकृत संस्थाओं की संख्या	कृषकों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	149	3058
	पश्चिमी गोदावरी	130	2758
	कृष्णा	181	4124
	गूंटूर	93	2075
	प्रकाशम	26	577
	नेल्लोर	85	1822
	श्रीकाकुलम	26	445
	विजाग	4	80
उप-योग		**694**	**14939**
ओडिशा	बालासौर	46	995
	भद्रक	19	394
	गंजम	4	92
	जगतसिंहपुर	3	64
	पुरी	6	163
	केन्द्रपाडा	1	23
उप-योग		**79**	**1731**
तमिल नाडु	कुड्डालोर	4	87
	कांचीपुरम	1	20
	नागीपत्तनम	35	859
	थीरूवुरू	6	142
	विल्लीपुरम	4	80
	तंजावुर	3	70
उप-योग		**53**	**1258**
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	1	10
	उडुपी	10	195
	उत्तर कन्नड	10	178
		21	**383**
पश्चिम बंगाल	पूर्वी मेदिनीपुर	58	1270
	दक्षिण 24 परगना	9	197
	उत्तर 24 परगना	1	25
		68	**1492**
केरल	एर्नाकुलम	**2**	**41**
गोवा	दक्षिण गोवा	**1**	**10**
कुल		**918**	**19854**

अनुबंध - II

i. एईपी के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए एक अंतर - मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

ii. आवश्यक कमोडिटी की मूल्य समीक्षा सम्बंधी मौजूदा सीओएस के अधिदेश को खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कृषि कमोडिटी की पहचान, जिन पर निर्यात प्रतिबंध केवल जरूरत पडने पर लगाया जाएगा पर विस्तारित किया गया।

iii. कृषि निर्यात नीति की जागरूकता बढाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

iv.कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने राज्य -विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की तथा पुनरीक्षण और उनके अंतिम रूप देने के लिए अलग-अलग राज्यों के साथ साझा भी किया गया। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने उनसे संबंधित योजनाओं का पुनरीक्षण किया और अंतिम रूप दे दिया है। इस मामले को शेष राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेश के साथ आगे बढाया जा रहा है।

v. 27 राज्यों एवं 2 केन्द्रशासित प्रदेशों ने कृषि निर्यात संवर्धन के लिए नोडल अभिकरणों को नामित किया है।

vi. एपीडा तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने कृषि निर्यात में सहकारी समितियों की अधिक भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

vii. राज्य प्राधिकरणों, सहकारी समितियों, निर्यातकों के मध्य बीएसएम अक्टूबर से दिसम्बर, 2019 के दौरान चरण वार प्रणाली में सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में एनसीडीसी के साथ आयोजित किया जा रहा है।

viii. निर्यातकों के साथ बातचीत करने के लिए सहकारी समितियों, एफपीओ के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एपीडा द्वारा अपनी वेबसाइट पर एक कृषक संयोजक पोर्टल की स्थापना की गई है।

ix. एईपी के तहत, विशिष्ट उत्पादों के निर्यातउन्मुख उत्पादों के लिए कुछ क्लस्टरों को अभिज्ञात किया गया है एपीडा प्रत्येक राज्य में क्लस्टर स्तर पर निर्यातकों एवं किसान - ऊपजकर्त्ता संगठनों (एफपीओ) के मध्य क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कर रहा है।

x. वर्ष 2019-20 के लिए 206.80 करोड रूपए के परिव्यय से केन्द्रीय सेक्टर की एक स्कीम - “कृषि निर्यात नीति का कार्यान्वयन” को अनुमोदित किया गया है।

अनुबंध - III

एपीडा जलकृषि में बेहतर विनिर्माण अभ्यास को प्रक्रियाओं करने के लिए मत्स्य कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषक पूंजीगत लागत के 50 % की दर से या अधिकतम 5 लाख रूपये की सहायता प्राप्त करने के पात्र है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के लिए सहायता राशि पूँजीगत लागत का 75% या अधिकतम 7.5 लाख रूपये होगी। इस सहायता में जैविक सुरक्षा अवसंरचना का संस्थापन शामिल है।

एम्पीडा प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, कृषक बैठकें, कार्यशालाएं आदि आयोजित करके मत्स्य कृषकों को क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास सहायता भी प्रदान करता है। एम्पीडा अपने राष्ट्रीय संघारणीय जलकृषि केन्द्र (एनएसीएसए) नामक सोसायटी के माध्यम से जलकृषि कृषक कल्याण सोसायटियों का सृजन करके क्लस्टर खेती को भी प्रोत्साहित करता है।

देश में सभी समुद्री तटीय राज्यों में स्थापित एम्पीडा के इकाई कार्यालय देश में जलकृषि कृषकों को कृषि विकास सेवाएं प्रदान कर रहे है। कृषकों को सम्मिलित कर के इन इकाई कार्यालयों द्वारा निदेशन फार्म परियोजनाएं का संचालन किया जा रहा है। एंटिबायोटिक ससूचन के लिए अपने उत्पाद परीक्षण के लिए कृषकों को सेवा प्रदान करने वाले कृषि क्षेत्र के नजदीक 11 ईएलआईएसए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र (आरजीसीए) एम्पीडा का अनुसंधान एवं विकास स्कन्ध, ने निर्यातउन्मुख जलकृषि का विविधीकरण करने के लिए 11 परियोजनाओं की स्थापना की है। ये परियोजनाएं बीज की बिक्री करके तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके जलकृषि को सुविधा प्रदान कर रही है।

एम्पीडा की उपर्युक्त पहलों का लक्ष्य जलकृषि के उत्पादन और समुद्री उत्पाद के निर्यात में वृद्धि करना है।

****